

फरद अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम जहाजपुर

मोहन लाल) वंशीलाल के निःशुल्क वनाम रंजीतलाल अथवा

किरम मुकदमा नं. 88, 89 का नं. 10 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशाल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
04/10/21	<p>परापूर्वी पेश हुई। वही जज उपस्थित। वही उपस्थित हो लिये वीजा गया वही के पिता का नाम वंशीलाल है लक्ष्मी राजपूत के गल्ले के खाना इति हो गया। इन्होंने मेरे पिता का नाम के स्थान पर वंशीलाल का नाम काता कराया।</p> <p>वही की वकालत हुई गई व परापूर्वी को अवलोकन वीजा गया। परापूर्वी के उपलब्ध रेकर्डों में पंच पंचायत उल्लेख के द्वारा वही जज का उल्लेख वंशीलाल व खाना दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तथा वही खाने के नाम भी वही जज की गई वही वही के पिता का नाम वंशीलाल है। निम्नी लक्ष्मी परापूर्वी के उपलब्ध रेकर्डों के देखी है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना अनुसार वही का वोट का स्वीकार वीजा जागा उचित समझा है। अतः वही का वोट का स्वीकार वीजा जागा जज उल्लेख प. 83, उल्लेख सह वंशीलाल की क्र. नं. 73, 83, 86 कुल वीजा 3 कुल 2 वीजा 5.17 वीजा से खाना पिता के वोट के द्वारा वंशीलाल पिता के वोट किया जाते का वोट वीजा जागा है। परापूर्वी जागी है। परापूर्वी जज उल्लेख लेका गया है वही है।</p>	<p>मोहन</p>

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)